

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3657 जिसका उत्तर
सोमवार, 3 अप्रैल, 2017/13 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है

देश में नदी परिवहन

3657. डॉ. विनय पी. सहस्त्रीबुद्धे :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने गंगा नदी के माध्यम से माल परिवहन और यात्री यातायात की सुविधा हेतु योजनाएं बनाई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और
(ख) क्या अन्य नदियों के माध्यम से भी इसी प्रकार के नदी जल परिवहन हेतु कोई संभाव्यता अध्ययन प्रारंभ किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मंडाविया)

(क) और (ख): जी हां। 2000 डीडब्ल्यूमी तक के जलयानों की आवाजाही संभव करने के लिए 5369 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में वर्ल्ड बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ हल्द्वहया से वाराणसी एनडब्ल्यू-1 (गंगा) की क्षमता बढ़ाने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वीयन किया जा रहा है। इस परियोजना में फेयरवे विकास नौचालन सहायता नदी सूचना तंत्र वाराणसी, साहिबगंज और हल्द्वहया में बहुउद्देशीय टर्मिनलों का निर्माण, फरक्का में नए नैविगेशनल लॉक का निर्माण, बैंक प्रोटेक्शन कार्य एलएनजी बंकरिंग सुविधाएं, एलएनजी फ्यूल्डव जलयान इत्यादी शामिल हैं।

सरकार ने 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है जिसमें रेल और सड़क के परिवहन के अनुपूरक मॉड के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत पूर्व घोषित 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भी शामिल हैं। 106 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों की स्थिति इस प्रकार है:-

श्रेणी-I: 8 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बराक (एनडब्ल्यू-16), घरा (एनडब्ल्यू-40), गंडक (एनडब्ल्यू-37), कोसी (एनडब्ल्यू-58), आंडोवी (एनडब्ल्यू-68), वारी (एनडब्ल्यू-11), बरजुआ नहर (एनडब्ल्यू-27) और सुंदरबन (एनडब्ल्यू-37) पर कार्य है। इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर, बराक नदी (एनडब्ल्यू-16) में फेयरवे विकास कार्य सौंप दिया गया है।

श्रेणी-II: 46 राष्ट्रीय जलमार्ग जो तटीय क्षेत्रों में हैं और जिनमें कुछ ज्वारीय जलखंड हैं, उन्हें। इस श्रेणी में विकसित किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। इन सभी राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए दो स्तरीय अध्ययन करा लिया गया है और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। स्तर-I व्यवहार्यता रिपोर्टों के आउटकम के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 24 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए तैयार किया जा रहा है।

श्रेणी-III: शेष 52 राष्ट्रीय जलमार्गों को जो सुदूर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है और प्रारंभिक रूप से इन सभी राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए केवल व्यवहार्यता अध्ययनों को सौंप दिया गया।
